

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-⁰³(एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 24.01.2026

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45/(एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ।

क्र	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1.	प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर	जिला मुख्यालय सागर	पुलिस आरक्षी केन्द्र सुरखी, मोतीनगर एवं राहतगढ़ के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां।
2.	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सप्तम अति.सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर श्री समरेश सिंह	जिला मुख्यालय सागर	पुलिस आरक्षी केन्द्र के थाना क्षेत्र गोपालगंज से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां।

नोट- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

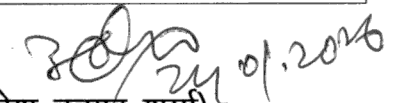
पृष्ठांकन क्रमांक

397 (एक-दो-01)07

प्रतिलिपि:-

01. समस्त न्यायाधीशगण, जिला स्थापना सागर।
02. ऑब्जेक्शन क्लर्क, पंजीयन अनुभाग सागर।
03. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)
सागर दिनांक: 24.01.2026


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)
24.01.2026